संख्या–1260 / 9–आ–3–1998–18 वि0 / 96

प्रेषक, **श्री अतुल कुमार गुप्ता,**
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में, **1. आवास आयुक्त,**
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. समस्त उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 12 अप्रैल, 1999

विषय : पर्यटन नीति 1998 के अन्तर्गत आवासीय क्षेत्र में तीन स्टार तक के मान्यता प्राप्त होटल हेतु निर्माण अनुज्ञा प्रदत्त किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश में पर्यटन को प्रमुख व्यवसाय के रूप में विकसित करने एवं पर्यटकों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश की पर्यटन नीति–1998 के अन्तर्गत होटल व्यवसाय को प्रोत्साहित किए जाने की रणनीति के क्रम में यह व्यवस्था की गयी है कि आवासीय क्षेत्र में यदि निजी उद्यमियों द्वारा तीन स्टार तक की मान्यता प्राप्त कर सकने योग्य होटल प्रोजेक्ट या कोई अन्य मान्यता प्राप्त पर्यटक इकाई स्थापित की जानी हो तो उसकी अनुमति दी जाए। यह भी व्यवस्था की गयी है कि स्थानीय निकाय / विकास प्राधिकरणों द्वारा नगर योजना में पर्यटन विभाग की सहायता से पर्यटन उद्योग से सम्बन्धित गतिविधियों के लिए भूखण्ड चिन्हित किए जाए।

2. अतएव होटल व्यवसाय को प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 की धारा–92 की उपधारा (2) तथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–41 की उपधारा (1) के अधीन यह निर्देश देते हैं कि आवासीय क्षेत्र में तीन स्टार तक के मान्यता प्राप्त होटल हेतु निर्माण अनुज्ञा निम्न प्राविधानों के अनुसार प्रदत्त की जाएगी।

(1) होटल हेतु प्रस्तावित भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर होगा।

(2) पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 18 मीटर होगी।

(3) अधिकतम भू–आच्छादन 40 प्रतिशत तथा एफ0ए0आर0 125 होगा।

(4) भवन की ऊँचाई 4 मंजिल परन्तु अधिकतम 15 मीटर होगी।

(5) 10 मीटर तक की ऊँचाई के भवन में सैट–बैक आगे 9 मीटर, पीछे 3 मीटर, बाई साईड में 3 मीटर तथा दायीं साईड में 3 मीटर होगा।

(6) 10 मीटर से अधिक एवं 15 मीटर की ऊँचाई के भवन में सैट–बैक आगे 9 मीटर, पीछे 5 मीटर, बाई साईड में 5 मीटर तथा दायीं साईड में 5 मीटर होगा।

(7) पार्किंग : प्रत्येक 100 वर्ग मीटर तल क्षेत्रफल पर 1.25 कार स्पेस (प्रत्येक कार स्पेस 13.75 वर्ग मीटर सर्कुलेशन) की व्यवस्था भूखण्ड के अन्दर की जाएगी।

(8) प्रस्तावित भवन में अनुमन्य भू–आच्छादन के बराबर तहखाना (ठ ॅम्डम्छज) अनुमन्य होगा। जो बगल की सम्पत्ति से 2 मीटर की दूरी पर होगा। तहखाने का उपयोग पार्किंग, मशीन रूम एवं विद्युत तथा वातानुकूल उपकरण के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन के लिए होने पर उसकी गणना तल क्षेत्रफल में (एफ.ए.आर.) में की जाएगी।

(9) निर्माण अनुज्ञा आवेदक के मानचित्र जमा करने की तिथि में विलम्बतम तीन माह के अन्दर जारी / अस्वीकृत की जाएगी।

3. मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि नगरों को महायोजना / जोनल प्लान / ले–आउट प्लान में विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद द्वारा पर्यटन विभाग के सहयोग से पर्यटन उद्योग से सम्बन्धित गतिविधियों के लिए आवश्यकतानुसार भूखण्ड चिन्हित किए जायें।

4. कृपया उपरोक्त आदेशों का अनुपालन तात्कालिक प्रभाव से सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

पृष्ठांकन संख्या–1260(1)/9–आ–3–1998 तददिनांक

प्रतिलिपि समस्त नियन्त्रक प्राधिकारी और विनियमित क्षेत्रों के नियम प्राधिकारियों को उपर्युक्त निर्देशों के क्रम में आवश्यक व्यवस्था एवं अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित :–

आज्ञा से,
राजकुमार सिंह
अनुसचिव

पृष्ठांकन संख्या–1260(2)/9–आ–3–1998 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महानिदेशक, पर्यटन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
2. निदेशक, पर्यटन (पर्यटन), देहरादून
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम, लखनऊ/गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून/कुमायूँ
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
5. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश
6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश

आज्ञा से,
राजकुमार सिंह
अनुसचिव